संख्या–878/33–3–2021–114/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी/ समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/समस्त पुलिस आयुक्त/
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/समस्त पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2021

विषयः–कोविड–19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की अंत्येष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड–19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों का पारम्परिक रिति से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। फलतः नदियों में कई जगह शव प्राप्त हुये है। शासन के पत्र संख्या–876/33–3–2021–114/2012, दिनांक 14.5.2021 द्वारा कोविड–19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की अंत्येष्टि के सम्बन्ध में यह निर्देश निर्गत किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि जल स्रोत्र/नदी में शव प्रवाहित न किया जाय।

2– गंगा नदी/यमुना नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे बिना अंत्येष्टि के शवों के बहाये जाने की कार्यवाही न हो सके एवं यदि बिना अंत्येष्टि के शव पाये जाते है तो उनको तत्काल चिन्हित करके सम्मानजनक निस्तारण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इन शवों का कोविड–19 वायरस से संक्रमित होना संभावित है। शवों को नदियों में बहाये जाने के कारण जनमानस में बीमारी फैलने एवं नदियों का जल प्रदूषित होने की आशंका है।

3– कृपया एक सुस्पष्ट कार्ययोजना बनाते हुए नदियों में जल प्रदूषण के दृष्टिगत लावारिस रूप से शवों को प्रवाहित किये जाने से रोकना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर से ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए बाढ़ राहत कम्पनियॉ अथवा जनपदीय पुलिस बल की 24X7 घंटे ड्यूटी लगाते हुए गश्त कराई जाय।

4– स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए नदियों के किनारों के घाटों को चिन्हित करते हुए संबंधित थानों प्रभारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि यदि कोई शव कोविड–19 से प्रभावित है तो उसका अंतिम संस्कार प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कोविड प्रोटोकाल के अंतर्गत ही किया जाये।

Amit Sri.

Manoj

5– नदियों के घाटों के आस–पास रहने वाले सम्भ्रान्त/पुलिस मित्र नागरिकों से भी समन्वय /सम्पर्क स्थापित कर उन्हें जागरूक करते हुए उनका भी सहयोग लिया जाये। साथ ही पी0ए0 सिस्टम एवं अन्य प्रसार यंत्रों के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जाय। कोविड–19 से मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के माध्यम से कराया जाये।

6– ऐसे थाने जिनके क्षेत्रान्तर्गत घाट/नदियॉ आती है उनको विशेष रूप से चिन्हित कर संवेदित कर दिया जाये। इस हेतु जनपदों में बाढ राहत पीएसी/एसडीआरएफ की कम्पनियॉ उपलब्ध है उनको रिवर पेट्रोलिंग एवं उक्त कार्यवाही की निगरानी हेतु व्यवस्थापित किया जाये, ताकि शवों को नदियों में विसर्जित किये जाने से रोका जा सके।

7– जिन जनपदों में बाढ़ राहत कम्पनियों के पास मोटरबोट/नाव उपलब्ध न हो वहां पर जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर मोटरबोट उपलब्ध कराते हुए रिवर पेट्रोलिंग कराई जाये।

8– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावरण हित में नगरीय निकायों में हो ही मृत्यु के पश्चात् उनका अंतिम संस्कार विहित परम्परा यथा जलाने/दफनाने के अनुसार ही किया जाय, किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय। उपर्युक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समस्त नगर निकायों में नगर विकास विभाग के पत्र सं0–552/नौ–7–2021–11(ज0)/2020, दिनांक 14.5.2021 द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया गया है :–

नगर निगमों में	नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में
मा0 महापौर–अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष, न0पा0परि0/नं0पं0–अध्यक्ष
नगर आयुक्त–संयोजक सचिव	अधिशासी अधिकारी–संयोजक सचिव
उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति–सदस्य	सिविल अभियन्ता (सहायक/अवर)–सदस्य
मुख्य अभियंता सिविल/विद्युत यांत्रिक–सदस्य	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक–सदस्य संवर्ग का वरिष्ठ अधिकारी
नगर स्वास्थ्य अधिकारी–सदस्य	
मा0 महापौर द्वारा नामित 10 पार्षदगण–सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित 10 पार्षदगण–सदस्य

9– ग्रामीण/नगरीय निकायों में निगरानी कराते हुए यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निकाय के अंतर्गत किसी भी स्थिति में शवों को न तो जल में प्रवाहित किया जाय और न ही जल समाधि दी जाय।

10– उक्त के क्रम में यह भी सूच्य है कि नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–536/9–7–2021–27 (ज)/2014 टी0सी0–1, दिनांक 07.5.2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के कारण होई मृत्यु की दशा में उपरोक्त शवों के अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निःशुल्क कराये

Amit Sri.

Manaf

जाने के निर्देश दिये गये है तथा सुनिश्चित किया गया है कि उक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोत्रों /राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0–5000/–तक होगा।

11– इस संबंध में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अपने निकाय के मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष को अवगत कराते हुए उपर्युक्तानुसार समिति का गठन दो दिवस के अंदर कर उक्त समिति की बैठक कराने एवं उक्त की सूचना दिनांक 18.5.2021 तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ (ई–मेल diruplb2020@gmail.com) को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करे। नगर आयुक्तगण उक्त सूचना को भी (ई–मेल so.nagarvikas@gmail.com) पर उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त नगरीय निकायों से प्राप्त उक्त सूचना को संकलित कर शासन को दिनांक 18.5.2021 को उपलब्ध करायेंगे।

12– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि रू. 5,000/– शासनादेश संख्या–1075/33–1–2020–3003/2017 दिनांक 02.06.2020 निर्गत किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश संख्या–यू.ओ.23/33–3–2021–यू.ओ.23/2021 दिनांक 29.04.2021 द्वारा भी यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम क्रिया के लिए तत्काल धनराशि रू. 5,000/– प्रदान किया जाय। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु की दशा में ग्राम पंचायत उक्त रू. 5,000/– की धनराशि का उपयोग शवों के दाह संस्कार पर करेगी।

13– प्राप्त सूचना के अनुसार शवों का उचित अंतिम संस्कार के स्थान पर जल में प्रवाहित करने के निम्न कारण इंगित किए जा रहे हैः–

(I) अंतिम संस्कार हेतु धन का अभाव (लकड़ी व अन्य व्यवस्था न होना)

(II) पंथ/परम्परा।

(III) कोविड–19 के शव को संक्रमण के भय से लावारिस छोड़ देना।

14– शासन स्तर से निर्धन परिवारों में एवं कोविड–19 में मृत्यु की दशा में शवों के अंतिम संस्कार हेतु जब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो धन का अभाव इसका कारण नहीं बनता कि शवों का अंतिम संस्कार करने के स्थान पर नदियों में प्रवाहित किया जाय। पंथ व परम्परा के प्रकरण में भी संबंधित को शव के जल प्रवाह से होने वाले कुप्रभाव को समझाते हुए इन शवों की अंत्येष्टि की जानी चाहिए। किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोविड–19 से अगर किसी की मृत्यु होती है तो कोविड–19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।

15– ग्राम पंचायतों में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान, अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए अनुमन्य धनराशि का पूर्ण उपयोग हो एवं किसी भी दशा में शव नदी में प्रवाहित न किए जाय। इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का भी सहयोग लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि जल स्रोतों/ नदियों में शव प्रवाहित न हों, उनका उचित तरीके से अंत्येष्टि की जाय।

Amit Sri.

16– अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से हेतु निर्गत शासनादेशों की प्रतियां संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) तथा पंचायतीराज विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जल स्रोत/नदी में शव प्रवाहित न किया जाय। जिलाधिकारी उपरोक्त तीनों शासनादेशों में अनुमन्य कराई गई धनराशि के व्यय का नियमित अनुश्रवण करें तथा इसकी सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय एवं निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को प्रति सप्ताह उपलब्ध करायें। जनपदों को पर्याप्त धनराशि इस हेतु उपलब्ध कराई गई है तो जिलाधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में उचित तरीके से शव का अंतिम संस्कार हो तथा इसे जल में प्रवाहित न किया जाय। समस्त मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मण्डल में सभी जिलाधिकारियों का आपस में समन्वय हो एवं नदी के upstream व down-stream के मण्डलायुक्त से समन्वय भी स्थापित करें।

17– इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र संख्या–आर–18/18/2020–पी0आर0पी0पी0 (आर0यू0–1), दिनांक 14.5.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह/नगर विकास विभाग कृपया तद्नुसार अनुसरण हेतु।
3. पुलिस महानिदेशक कृपया तद्नुसार अनुसरण हेतु।
4. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर आयुक्त/अधीशासी अधिकारी (नगर पालिका एवं नगर पंचायत) उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

संख्या–876 / 33–3–2021–114 / 2012

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 14 मई, 2021

विषयः– कोविड–19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों की अंत्येष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कोविड–19 से संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर शवों को पारम्परिक रीति से अंतिम संस्कार के स्थान पर नदियों में बहा दिया जा रहा है। फलतः नदियों में कई जगह शव प्राप्त हुए हैं।

2– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि रू. 5,000/– शासनादेश संख्या–1075/33–1–2020–3003/2017 दिनांक 02.06.2020 निर्गत किया गया है। इसी प्रकार शासनादेश संख्या–यू.ओ.23/33–3–2021–यू.ओ.23/2021 दिनांक 29.04.2021 द्वारा भी यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि कोविड–19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम किया के लिए तत्काल धनराशि रू. 5,000/– प्रदान किया जाय। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हों तों, ग्राम पंचायत उक्त रू. 5,000/– की धनराशि का उपयोग शवों के दाह संस्कार पर करेगी।

इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा भी शासनादेश संख्या–536/9–7/2021–27(ज)/2014 टी.सी.–1 दिनांक 07.05.2021 द्वारा कोविड–19 से संक्रमण के कारण मृत्यु की दशा में शवों के निस्तारण हेतु रू. 5,000/– व्यय करने हेतु नगरीय निकायों को अधिकृत किया गया है।

3– प्राप्त सूचना के अनुसार शवों का उचित अंतिम संस्कार के स्थान पर जल में प्रवाहित करने के निम्न कारण इंगित किए जा रहे हैं:–

(I) अंतिम संस्कार हेतु धन का अभाव (लकड़ी व अन्य व्यवस्था न होना)

(II) पंथ/परम्परा।

(III) कोविड–19 के शव को संक्रमण के भय से लावारिस छोड़ देना।

4– शासन स्तर से निर्धन परिवारों में एवं कोविड–19 में मृत्यु की दशा में शवों के अंतिम संस्कार हेतु जब पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है तो धन का अभाव कारण नहीं बनता कि शवों का अंतिम संस्कार करने के स्थान पर नदियों में प्रवाहित किया जाय। पंथ व परम्परा के प्रकरण में भी संबंधित को शव के जल प्रवाह से होने

Amit Srl.

Manoj

वाले कुप्रभाव को समझाते हुए इन शवों की अंत्येष्टि की जानी चाहिए। किसी भी दशा में शव किसी नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। कोविड–19 से अगर किसी की मृत्यु होती है तो कोविड–19 की गाइडलाइन के अनुसार ही उन शवों का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।

5– ग्राम पंचायतों में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान, अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा अंतिम संस्कार के लिए अनुमन्य धनराशि का पूर्ण उपयोग हो एवं किसी भी दशा में शव नदी में प्रवाहित न किए जाय। इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का भी सहयोग लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि जल स्रोतों/ नदियों में शव प्रवाहित न हों, उनका उचित तरीके से अंत्येष्टि की जाय।

6– अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से हेतु निर्गत शासनादेशों की प्रतियां संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जल स्रोत/नदी में शव प्रवाहित न किया जाय। जिलाधिकारी उपरोक्त तीनों शासनादेशों में अनुमन्य कराई गई धनराशि के व्यय का नियमित अनुश्रवण करें तथा इसकी सूचना निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को प्रति सप्ताह उपलब्ध करायें। जनपदों को पर्याप्त धनराशि इस हेतु उपलब्ध कराई गई है तो जिलाधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपद में उचित तरीके से शव का अंतिम संस्कार हो, जल में प्रवाहित न किया जाय।

<u>संलग्नकः–यथोक्त।</u>

भवदीय,

Manaf

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः– तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manaf 14.5.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.

संख्या-03/2020/1075/33-1-2020-3003/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 02 जून, 2020**

विषयः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धन व निराश्रित परिवारों में भुखमरी की दशा, बीमारी एवं मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को आकस्मिकता की स्थिति में व आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों की वजह से भुखमरी का सामना, इलाज कराने में आर्थिक तंगी व किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उचित दाह संस्कार/अंत्येष्टि न हो पाने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी परिवार अथवा सदस्य को भुखमरी, बीमारी से इलाज में परेशानी व अन्त्येष्टि करने में असमर्थता की स्थिति न हो इसके लिए शासन ने राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग अनुमन्य करने का निर्णय लिया है।

2. ग्रामीण अंचल में निवासरत किसी परिवार को आर्थिक कठिनाई की वजह से उत्पन्न विपन्नता में भुखमरी का शिकार न हो इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे परिवार को एक-बारीय ग्राम पंचायत तत्काल 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से करायेगी। उपरोक्त कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित व्यक्ति व परिवार की पात्रता के अनुसार राशन कार्ड न होने की दशा में राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी की जायेगी ताकि आने वाले दिनों में उनके भरण-पोषण के लिए नियमित राशन प्राप्त हो सके।

3. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार के सदस्य गरीबी की वजह से कतिपय परिस्थितियों में अपनी बीमारी का इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। यद्यपि बीमारी में इलाज के लिए आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। अगर किसी परिवार के पास उपरोक्त योजनाओं का लाभ कार्ड न होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें तत्काल एक-बारीय इलाज के लिए ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग से 2000 रूपये की धनराशि उपलब्ध करायेंगी। उपरोक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के उपरान्त परिवार को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवाने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत परिवारों को आर्थिक विपन्नता की वजह से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार के लिए धनराशि न होने की दशा में ऐसे परिवार के वयस्क सदस्य को 5000 रूपये की धनराशि अन्त्येष्टि कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। अगर किसी व्यक्ति

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की मृत्यु होने पर उसके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है जो अंत्येष्टि/अन्तिम संस्कार के कार्य को कर सके उन परिस्थितियों में ग्राम पंचायतें 5000 रूपये की धनराशि का व्यय करते हुए अंत्येष्टि की व्यवस्था करायेंगी।

5. पात्रता-

गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतें मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में काम करती हैं। पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा-15 (सोलह), 15 (तेईस) 'ख', 15 (अठ्ठाईस) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के कर्तव्यों में भी यह शामिल है। ग्राम पंचायतों के पास विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तैयार की गयी गरीब परिवार व निराश्रित परिवारों की सूची व अन्य जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इन मदों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता आर्थिक विपन्नता की स्थिति में ही पडेगी, परन्तु कतिपय परिस्थितियों में ऐसी स्थिति किसी भी परिवार के सामने आकस्मिकता के रूप में आ सकती है। उक्त के दृष्टिगत इन परिस्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए परिवारों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा परिवार की आर्थिक विपन्नता व परिस्थिति जनक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

6. प्रक्रिया-

ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव अपनी पंचायत में उपरोक्त परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे एवं समय-समय पर बैठक कर परिवारों को इस शासनादेश में वर्णित तीनों परिस्थितियों के लिए चयन करते हुए उन्हें वर्णित धनराशि उपलब्ध करायेंगे। चूंकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब लगभग सभी परिवारों के बैंक खाते खुले हुए हैं। अतः यह सहायता राशि लाभार्थी परिवार/लाभार्थी को उसके बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

7. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 2800 करोड़ की धनराशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी है। इस वर्ष 2020-21 में 4340 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का अधिकतम 03 प्रतिशत राशि, जो वर्ष 2020-21 में रूपये 130.20 करोड़ होगी, ग्राम पंचायतें शासनादेश में वर्णित कार्यों को करने के लिए अधिकृत होंगी। ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध ब्याज की धनराशि का भी इस कार्य पर प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के 03 प्रतिशत तक की धनराशि इन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है, इसके उपरान्त भी ऐसे परिवार/निराश्रित व्यक्ति मौजूद हैं, इन्हें इस योजना की आवश्यकता है तो उनकी सूची व विवरण ग्राम पंचायतें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन उपरान्त टी.आर.-27 से उक्त धनराशि आहरण करते हुए सम्बन्धित परिवार को यह सहायता राशि उपलब्ध करायेंगे और उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से किए जाने के लिए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

रिपोर्टिंग-

जिला पंचायत राज अधिकारी शासनादेश में वर्णित श्रेणी में उपलब्ध करायी गयी आर्थिक सहायता राशि का विवरण लाभार्थी के नाम व पूर्ण पते (मोबाईल नम्बर के साथ) निदेशक, पंचायती राज को इलैक्ट्रानिकली उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, पंचायती राज इस रिपोर्टिंग के लिए एक ऐप/प्रोफार्मा तैयार कर सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को तीन दिन में सूचित करेंगे। निदेशक, पंचायती राज द्वारा जिलों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

टी.आर.-27 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि के मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिपूर्ति का अनुश्रवण करते हुए शासन को रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

परिणाम की अपेक्षायें-

राज्य सरकार इस निर्णय के माध्यम से ग्राम पंचायतों को व जिलाधिकारीगण को राज्य वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि व टी.आर.-27 से आकस्मिकता की स्थिति में धनराशि आहरण के लिए अधिकृत करते हुए वर्णित परिस्थितियों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत कर रही है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति/परिवार को भुखमरी का सामना न करना पडे एवं आर्थिक विपन्नता की वजह से चिकित्सा सुविधा न मिल पाये या आर्थिक विपन्नता की वजह से अन्तिम संस्कार व अंत्येष्टि न हो पाये ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों। ग्राम पंचायतें व जिलाधिकारीगण शासन के इस निर्णय का पूरी सजगता व कठोरता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, नियोजन, पशुधन, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार खरे)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: U023 /33-3-2021-यू.ओ.-23/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 29 अप्रैल, 2021

विषयः ग्राम पंचायतों में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1075/33-1-2020-3003/2017 दिनांक 02.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु उस परिवार के व्यस्क सदस्य को रू. 5,000/- दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के मृत होने पर उनके शवों के क्रियाकर्म/अंत्येष्टि (क्रिमिनेशन) हेतु निम्नवत निर्देश दिए जा रहे हैं:-

1. ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि आदि सम्पन्न किए जाते हैं, उक्त स्थान से कुछ दूरी पर कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि हेतु स्थान चिन्हित कर लिया जाय। उक्त चिन्हित स्थान पर ही कोविड-19 से मृत व्यक्तियों का अंत्येष्टि/क्रियाकर्म कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंत्येष्टि/क्रियाकर्म करने वाले व्यक्ति को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे-पी.पी.किट, हैण्ड ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जायेगा।

3. कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में अंतिम क्रिया के लिए तत्काल सहायता धनराशि रू0 5,000/- प्रदान की जाए। यदि इस प्रकार से कोविड संक्रमण से मृत्यु जिसमें परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हो तो ग्राम पंचायत उक्त रू. 5,000/- की धनराशि का उपयोग शव का दाह संस्कार पर करेगी। यह ध्यान में रखा जाए कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति का आर्थिक कारणों से अंतिम क्रिया किसी भी दशा में प्रभावित न होने पाए।

Scanned with CamScanner

4. उक्त कार्य में धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग से व्यय की जा सकती है।

5. उक्त कार्यवाही के लिए सचिव, ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी(पं0), ग्राम पंचायत के प्रशासक के दायित्वों का निर्वहन करने वाले अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

6. इस प्रकार से सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का रिकार्ड पंचायत द्वारा रखा जाएगा एवं संकलित सूचना सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी एवं आवश्यकतानुसार निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 को प्रेषित की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.4.21

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव-राजस्व, राहत, ग्राम्य विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ आॅफिसर, मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), उ0प्र0।
5. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पं0, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी-पं., उ0प्र0।
10. समस्त ग्राम पंचायत पदाधिकारीगण, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

शवों का अन्तिम संस्कार
अति महत्वपूर्ण
संख्या–536 / 9–7–2021–27(ज) / 2014टी0सी0–1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, न0पा0परि0 / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांकः 07 मई, 2021

विषयः कोविड–19 संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में शवों का निःशुल्क अन्तिम संस्कार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा– 114(20) तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 7(G) में दी गयी व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु अन्त्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 के संक्रमण के कारण हुयी मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार निःशुल्क कराया जाय। अन्तिम संस्कार में कोविड–19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही हेतु होने वाला व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों / राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम रू0 5000 / – तक होगा।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–536(1) / नौ–7–2021

प्रतिलिपि–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
07-05-2021
(कल्याण बनर्जी)
उप सचिव।

so 7 vivek 3

Scanned by CamScanner